उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-2
संख्या-753/14-2-2015-111/1992 टीसी
लखनऊ, दिनांक, 19 मई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1972) की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल वर्ष 2015 के लिये मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद , झांसी और चित्रकूटधाम मण्डलों में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेन्दू पत्तों के राज्य सरकार के द्वारा या उसकी ओर से उक्त वर्ष के लिये क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के निमित्त अपने-अपने मण्डलों के लिये परामर्श देने हेतु समितियां, जो नीचे अनुसूची में दी गयी है, संघठित करते हैं और उक्त अनुसूची में स्तम्भ-3 में उल्लिखित पदधारक/व्यक्तियों को उक्त समितियों का अध्यक्ष, संयोजक तथा सदस्य नाम निर्दिष्ट करते हैं।

2- उक्त समितियों राज्य सरकार के वन या गॉव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की भूमि से संग्रहीत तेन्दू पत्ता पर देय संग्रहण व्यय दर तथा निजी उत्पादको के मामलों में क्रय दर के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

3- यह समितियां अविलम्ब अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देंगी।

क्रमांक	मण्डल का नाम	परामर्शदात्री समितियों के अध्यक्ष, संयोजक एवं सदस्य का नाम
1	2	3
	मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर	
1.	आयुक्त मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।	अध्यक्ष
2.	मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य क्षेत्र, मिर्जापुर।	संयोजक
3.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, द0क्षे0, उ0प्र0 वन निगम, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा।	सदस्य
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।	सदस्य
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट।	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

7.	प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ।	सदस्य
8.	तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा।	सदस्य
	<u>वाराणसी मण्डल, वाराणसी</u>	
1.	आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।	अध्यक्ष
2.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी, कानपुर	संयोजक
3	वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणासी	सदस्य
4	क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद क्षेत्र, उ0प्र0 वन निगम, इलाहाबाद	सदस्य
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी ।	सदस्य
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, चंदौली ।	सदस्य
7.	तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा।	सदस्य
	<u>इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद</u>	
1.	आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।	अध्यक्ष
2.	वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद	संयोजक
3.	वन निगम का प्रतिनिधि, जिसे नामित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, वन निगम का होगा ।	सदस्य
4.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद	सदस्य
5.	तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा।	सदस्य
	<u>झाँसी मण्डल, झांसी</u>	
1.	आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी ।	अध्यक्ष
2.	वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त , झांसी।	संयोजक
3.	वन निगम का प्रतिनिधि जिसे नामित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, वन निगम का होगा।	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी ।	सदस्य
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर वन प्रभाग, ललितपुर।	सदस्य
6.	तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा।	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

	-3-	
	चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा	
1.	आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।	अध्यक्ष
2.	वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।	संयोजक
3.	वन निगम का प्रतिनिधि, जिसे नामित करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, वन निगम को होगा।	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।	सदस्य
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा	सदस्य
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट।	सदस्य
7.	तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ द्वारा नामित तेन्दूपत्ता व्यवसायी संघ के दो प्रतिनिधि। (उक्त व्यवसाइयों को अन्तिम रूप से नामित करने का अधिकार सम्बंधित मण्डलायुक्त को होगा।	सदस्य

संजीव सरन
प्रमुख सचिव

संख्या-753(1)/14-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विधायी परिशिाष्ट अनुभाग-4 खण्ड (ख) के अंक में प्रकाशित कराने एवं प्रकाशित सूचना की 25 प्रतियां ,उ0प्र0 शाासन के वन अनुभाग -2 एवं 2-2 प्रतियां उपर्युक्त गठित परामर्शदात्री समितियों के अध्यक्ष, संयोजक एवं सदस्यों को भी भेजने का कष्ट करें।

2- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ ।

3- उक्त समिति में नामित समस्त अध्यक्ष/संयोजक एवं सदस्य।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in